राजस्थान में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति

3951. श्री विरधा राम फुलवरिया : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या क्या है ; और

(ख) पहले से निर्मित और भविष्य में निर्माण किए जाने वाले छात्रवासों की जिलेवार संख्या क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1981–82 में राजस्थान के छात्रवृत्ति प्राप्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

1. शिक्षा मंत्रालय

(1) अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्ति योजना—6

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना—

(i) प्रति जनजातीय सामुदायिक विकास खण्ड में अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 छात्रवृत्तियां

(ii) प्रति सामुदायिक विकास खंड में अनुसूचित जाति के लिए 1 छात्रवृत्ति ।

2. गृह मंत्रालय

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना—16656

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा संचालित अनुसूचित जातियों के वास्ते लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्र प्रायोजित सहायक अनुदान योजना के अन्तर्गत 10 छात्रावासों का निर्माण हो चुका है और 4 निर्माणाधीन हैं । जिले-वार सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Appointment of full time chairman of Hindustan Latex, Trivandrum

3952. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) why a retired Government servant who is a politician was appointed as full time Chairman of Hindustan Latex, Trivandrum when there are plenty of qualified, experienced and efficient senior executives available for such posts; and

(b) whether the Bureau of Public Enterprises/UPSC has approved appointment as per rules?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) A retired Government Servant was appointed as Chairman of Hindustan Latex Ltd. because he was considered fit for the job.

(b) The appointment of a Chairman of Central Public Enterprise does not require the approval of Bureau of Public Enterprises or the Union Public Service Commission.

रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3953. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान करने का नियम है ·

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी मकान में रह रहे रैल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है और उनसे किराया वसूल किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) मकान किराया भत्ते के भुगतान से सबंधित नियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लिखित है कि जिन रेल कर्मचारियों के पास रेलवे के क्वार्टर नहीं है उन सभी रेल कर्मचारियों को वर्गीकृत शहरों अर्थात् श्रेणी 'क', ख–1, ख–2 और 'ग' शहरों के लिये स्वीकृत दरों पर मकान किराया भत्ता देय है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वर्तमान नियमों, जो रेल कर्मचारियों सहित सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू हैं, में उन कर्मचारियों को, जिसके पास केन्द्रीय सरकार/रिलवे के क्वार्टर हैं, मकान किराया भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था नहीं है । मकान किराया भत्ते के भुगतान के लिये सरकारी आवास की व्यवस्था न होना मूल शर्त है । जो कर्मचारी किराया मुक्त क्वाटरों के पात्र नहीं हैं, उन्हें नियमों में निर्धारित दरों के हिसाब से किराये का भुगतान करना होता है ।

"क" तथा "ख" राज्यों को हिन्दी में लिखे गये पत्र

3954. श्री रामावतार शास्त्री : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 के पहले छः महीनों के दौरान "क" तथा "ख" राज्यों को कितने पत्र भेजे गये तथा उनमें से कितने हिन्दी तथा कितने अंग्रेजी में भेजे गये ;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत इन राज्यों को सभी मूलपत्र हिन्दी में भेजे जाने का उपबंध है तथा उसका पालन न किया जाना उपबंध का हनन करना है ;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों को मूल पत्र अंग्रेजी में भेजे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में मूल पत्र हिन्दी में ही भेजे जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) "क" और "ख" राज्यों को 1982 के पहले छः महीनों में भेजे गये पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी में भेजे गये पत्र	अंग्रेजी में भेजे गये पत्र
2385	2381*	4

(*अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ भेजे गये पत्र शामिल हैं)

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार "क" और "ख" राज्यों को पत्र हिन्दी में या अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ भेजे जा सकते हैं।

(ग) 1982 के पहले छः महीनों में "क" और "ख" राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केवल 4 पत्र अंग्रेजी में जारी किये गये थे। उसका कारण विलम्ब से बचना था। फिर भी अनुदेश जारी कर दिये गये थे कि इस मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का सख्ती से पालन किया जाये तथा सभी अधिकारियों/अनुभागों, डैस्कों और एकाकों द्वारा इन अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है।

(घ) "क" और "ख" राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मूल पत्र हिन्दी में भेजा जाना सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(1) इस मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा ('संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के उपबधों का सख्ती से पालन किये जाने के बारे में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(2) इस मंत्रालय में केन्द्रीय रजिस्ट्री को आदेश दे दिये गये हैं कि "क" और "ख" राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कोई पत्र तब तक जारी न किया जाय जब तक कि वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ न हो।

(3) इस मंत्रालय में हिन्दी अनुवाद एकक को मजबूत कर दिया गया है।

Loss suffered by State Road Transport Corporation

3955. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the Telegraph, datd 31 August, 1982 under the caption 'States told to cut Public Transport Loss";

(b) if so, details of such loss for the last three years with the State-wise break-up;

(c) whether any concrete suggestions have been given now to minimise such losses; and

(d) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI SITA RAM KESARI): (a) Yes, Sir.

(b) The details of losses for the three years are given in the attached statement.

(c) and (d) In the Transport Minister's meeting held on 31-5-82, a review of performance of the State Road Transport Undertakings was made and the Transport Ministers of States stated that adequate steps were being taken to improve the performance of State Transport Undertakings.

In the National Development Council Meeting in March, 1982, the Chief Ministers agreed to set up High Level Committees in their respective States to review the working of R.T.Cs and take effective measures for their improvement. From the information available, a large number of States/Union Territories have set such High Level Committees. Central Government have initiated the process of monitoring through quarterly performance review meetings.